सिक्किम विश्वविद्यालय के संविधियां

सिक्किम विश्वविद्यालय

[भारत की संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय]

6 माइल, सामदुर, डाकघर – तादोंग, गंगटोक -737 102

सिक्किम

प्रोफेसर टी. बी. सुब्बा
कुलपति
Professor T. B. Subba
Vice-Chancellor

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251067, Telefax: 251067
Email : vc@cus.ac.in
Website: www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

प्राक्कथन

सिक्किम विश्वविद्यालय के वर्तमान अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों के संग्रह के लिए प्राक्कथन लिखना हर्ष का विषय है। अधिनियम और संविधियों पर विश्वविद्यालय का ऐसा पहला प्रकाशन दिनांक 30 जून 2012 तक के संशोधन के अनुसार था। गत: पाँच वर्षों के दौरान हमारे संविधियों और हमारे प्रथम अध्यादेशों पर बहुत कम संशोधन हुआ है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है और विश्वविद्यालय द्वारा अधिक से अधिक स्पष्टता, पारदर्शिता और कार्यों में सामंजस्यता लाने के लिए सात विनियमों को अनुमोदित किया गया है।

वर्ष 2012 से अब तक विश्वविद्यालय में बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं। विभागों, छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और किसी- किसी मामलों में चमत्कारी रूप से वृद्धि हुई है। न्यायालय को छोड़कर सभी सांविधिक निकायों का गठन किया गया है अथव पुनर्गठन किया गया है। हमारे अपनी संविधि और अध्यादेशों के अनुसार विभागों के अध्यक्ष अथवा प्रभारी और विद्यापीठों के डीन की नियुक्ति की गई है। अध्ययन बोर्ड, विद्यापीठ बोर्ड, महाविद्यालय विकास परिषद, शैक्षणिक परिषद और कार्यकारिणी परिषद आदि की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। किन्तु हम वित्त समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से नहीं कर पा रहें है, इसका कारण है कि कभी-कभी गणपूर्ति पूरा नहीं होता है और कभी-कभी इस कारण से भी कि इस बैठक का आयोजन स्थल हमेशा दिल्ली रहा है न कि गंगटोक। वर्ष 2013-14 में पाठ्यक्रम का बड़ा संशोधन हुआ था और इस सेमेस्टर में भी एक और बड़ा संशोधन कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालय परिसर की मास्टर प्लान तैयार हो चुकी है, सांविधिक अनुमति प्राप्त हो चुकी है और प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय भवन और एक संकाय खंड का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। विश्वविद्यालय ने छात्र संघ, शिक्षक संघ और गैर-शिक्षण संघ को मान्यता दी है। हमारा पुस्तकालय देश के उत्कृष्ट पुस्तकालयों में से एक है। हमारे सभी भवन वाईफाई युक्त है और हमारी वित्तीय लेन-देन सम्पूर्ण रूप से डिजिटेल है। हम परिसर ईआरपी के कार्यान्वयन की दिशा में भी अग्रसर है।

किसी भी विश्वविद्यालय के अधिनियम, अध्यादेश और विनियम स्थिर नहीं हो सकता है और विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है, समय के साथ बदल रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास विभाग के निर्देशों को पालन कर रहा है और इसके साथ-साथ सभी हितधारकों के लिए अधिक समावेशी, पारदर्शी बनने के लिए इच्छुक है। चूंकि, बार-बार हो रहे परिवर्तन पर नजर रखने के लिए अक्सर हितधारक सक्षम नहीं होते हैं, अत: लगातार बार-बार परिवर्तन वांछनीय नहीं है। यह भी वांछनीय नहीं है कि वर्तमान अधिनियम, संविधि, अध्यादेश और विनियम केवल हमारे वैबसाइट पर सॉफ्ट कॉपी में रहें, बल्कि ये हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध होना चाहिए ताकि कोई अगर अन्य संबन्धित अध्यादेशों के साथ एक अध्यादेश पढ़ना चाहा तो आसानी से उपलब्ध हो।

मैं इसके संकलित, प्रारूपित, संपादित और हिन्दी में अनुवादित रूप में प्राप्त कराने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों के आभारी हूँ : श्री टी. के.कौल, श्री सी.बी. छेत्री, श्री सत्यम राणा, श्री शैलेश शुक्ला और सुश्री युतिका गोस्वामी। मैं आशा करता हूँ कि संबन्धित सभी के लिए यह एक मूल्यवान दस्तावेज़ होगा।

टी.बी.सुब्बा
कुलपति
21/2/18

विषय-सूची		पृष्ठ संख्या
	अनुसूची	
संविधियां		
1.	चांसलर	18
2.	कुलपति	18
3.	कुलपति के कार्य एवं शक्तियाँ	20
4.	उपकुलपति	20
5.	विद्यापीठों के डीन	21
6.	कुलसचिव	21
7.	वित्त अधिकारी	23
8.	परीक्षा नियंत्रक	24
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष	25
10.	न्यायालय की बैठक	25
11.	कार्यकारिणी परिषद का गठन	25
12.	कार्यकारिणी परिषद की शक्तियाँ और कार्य	26
13.	शैक्षणिक परिषद का गठन	28
14.	शैक्षणिक परिषद की शक्तियाँ और कार्य	29
15.	अध्ययन विद्यापीठ और विभाग	29
16.	अध्ययन बोर्ड	31
17.	वित्त समिति	31
18.	चयन समितियां	32
19.	नियुक्ति का विशेष तरीका	34
20.	निर्धारित कार्यावधि के लिए नियुक्ति	34
21.	मान्यताप्राप्त शिक्षक	34
22.	समितियां	35
23.	शिक्षक आदि की सेवा के नियम एवं शर्तें तथा आचार संहिता	35
24.	अन्य कर्मचारियों के नियम एवं शर्ते तथा आचार संहिता	35
25.	वरिष्ठता सूची	35
26.	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाया जाना	36
27.	मानद डिग्री	37
28.	डिग्री आदि को वापस लेना	37
29.	विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना	37
30.	विश्वविद्यालय के रखरखाव के अंतर्गत नहीं आनेवाले महाविद्यालय अथवा किसी संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना	38
31.	विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अंतर्गत महाविद्यालय आदि का प्रवेश	38
32.	दीक्षांत समारोह	40
33.	बैठकों के कार्यकारी सभापति	40
34.	त्यागपत्र	40
35.	अयोग्यताएँ	40
36.	सदस्यता और कार्यालय के लिए निवास शर्ते	41
37.	अन्य निकायों के सदस्य होने के नाते प्राधिकरणों की सदस्यता	41
38.	पूर्व छात्र संघ	41
39.	छात्र परिषद	41
40.	अध्यादेश, कैसे बनाया जाएँ	42
41.	विनियम	42
42.	शक्तियों का प्रत्यायोजन	43

अनुसूची
(धारा 29 देखिए)
विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति

1. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, देश के विद्या संबंधी या सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद द्वारा सिफ़ारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

परंतु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफ़ारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह कार्य परिषद से नई सिफ़ारिशें मंगा सकेगा।

(2) कुलाधिपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु अपनी पदावधि की समाप्ति पर भी कुलाधिपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

कुलपति

2. (1) कुलपति की नियुक्ति, खंड (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफ़ारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी:

परंतु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में किसी का अनुमोदन न करे तो वह विस्तारित नया पैनल मंगा सकेगा।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनमें से दो कार्य परिषद द्वारा और एक कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती समिति का संयोजन होगा:

परंतु समिति का कोई भी सदस्य, उस विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही किसी संस्था या ऐसी संस्था जिसे उस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हों, का कर्मचारी या उस विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य नहीं होगा।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) [1]कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। वह अन्य एक अवधि के लिए, सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

परंतु उक्त पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और अपना पद ग्रहण नहीं कर लेगा:

परंतु यह और कि कुलाध्यक्ष किसी भी कुलपति को जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है यह निदेश दे सकेगा कि वह कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की एसी अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बना रहेगा।

[1] एमएचआरडी द्वारा दिनांक 12.04.2012 को पत्र सं. 36-2/2002/डेस्क (यू) द्वारा संप्रेषित के अनुसार कुलाध्यक्ष की अनुमति से संशोधित

पूर्व संशोधित उपबंध : कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

(5) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी -

(i) कुलपति को केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिये जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिये सुसज्जित निवास-स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा।

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फ़ायदों और भत्तों का हकदार होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएँ :

परंतु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चालय जा रहे या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी संस्था का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहाँ उसे एसी भविष्य-निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य-निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था:

परंतु यह और कि जहां एस कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहाँ विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा;

(iii) कुलपति ऐसी दरों से, जो कार्य परिषद द्वारा नियत की जाएँ, यात्रा भत्ते का हकदार होगा;

(iv) कुलपति किसी कलेंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पंद्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी :
परंतु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है तो छुट्टी को अनुपातत: सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए ढाई दिन की दर से जमा किया जाएगा;

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध वेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और इस अर्ध वेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा :

परंतु जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तब अर्ध वेतन छुट्टी की दुगुनी मात्र शोध्य अर्ध वेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी।

(6) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा :

परंतु यदि प्रतिकुलपति उपलब्ध नहीं है, तो ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता या विद्यमान कुलपति अपने पद के कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता।

कुलपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

3. (1) कुलपति, कार्य परिषद, विद्या परिषद और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षण समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(4) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों का किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(5) कुलपति को कार्य परिषद, विद्या परिषद और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

प्रतिकुलपति

4. (1) प्रतिकुलपति कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफ़ारिश पर नियुक्त किया जाएगा :

परंतु जहां कुलपति की सफ़ारिश कार्य परिषद द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है वहाँ उस मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जो कुलपति द्वारा सिफ़ारिश किए गए व्यक्ति को या तो नियुक्ति करेगा या कुलपति से कार्य परिषद के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सफ़ारिश करने के लिए कह सकेगा :

परंतु यह और कि कार्य परिषद कुलपति की सिफ़ारिश पर, किसी आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रतिकुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्रतिकुलपति की पदावधि वह होगी जो कार्य परिषद विनिश्चित करे, किन्तु किसी भी दशा में वह पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी या कुलपति की पदवाधि की समाप्ति तक होगी, इनमें से जो भी पहले सकेगी।

परंतु ऐसा प्रतिकुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परंतु यह और है कि प्रतिकुलपति किसी भी दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रतिकुलपति, परिनियम 2 के खंड (6) के अधीन कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान, प्रतिकुलपति के रूप में अपनी पदावधि की समाप्ति पर भी

पद पर तब तक बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, कुलपति अपना पद फिर से नहीं संभाल लेता या नया कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

(3) प्रतिकुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ।

(4) प्रतिकुलपति, कुलपति की ऐसे विषयों के संबंध में सहायता करेगा जो इस निमित्त कुलपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएँ और उसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएँ।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष

5. (1) विद्यापीठ के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी :

परंतु यदि विद्यापीठ में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है तो तत्समय संकायाध्यक्ष विद्यापीठ के आचार्य, यदि कोई हों, और उपाचार्य में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि संकायाध्यक्ष बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब उस पद के कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, विद्यापीठ के ज्येष्ठतम आचार्य या उपाचार्य द्वारा किया जाएगा।

(3) संकायाध्यक्ष, विद्यापीठ का अध्यक्ष होगा और विद्यापीठ में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएँ।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठ की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

कुलसचिव

6. (1) कुलसचिव कि नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफ़ारिश पर कार्य परिषद द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर कार्य परिषद द्वारा विहित की जाएँ :

परंतु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परंतु यह और कि कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पहले हो।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस अधिकारी के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्ति करे।

(5) (क) कुलसचिव को, अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोडकर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी जो कार्य परिषद के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शक्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परंतु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का, उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(ग) ऐसे मामलों में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहाँ, कुलसचिव, जांच के पूरा होने पर, कुलपति को अपनी सिफ़ारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा :

परंतु शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद की होगी।

(6) कुलसचिव, कार्य परिषद, विद्या परिषद और महाविद्यालय विकास परिषद का पदेन सचिव होगा, किन्तु वह इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा और वह सभा का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(7) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) सभा कार्य परिषद, विद्या परिषद, महाविद्यालय विकास परिषद के और उन प्राधिकारियों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएँ निकाले;

(ग) सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद और महाविद्यालय विकास परिषद के तथा उन प्राधिकारियों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद, महाविद्यालय विकास परिषद के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) कुलाध्यक्ष को, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य-सूची की प्रतियाँ जैसे ही वे जारी की जाएँ, और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे, जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाए अथवा जिनकी कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

वित्त अधिकारी

7. (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफ़ारिश पर कार्य परिषद द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पत्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर कार्य परिषद द्वारा विहित की जाएँ:

परंतु वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परंतु यह और कि वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किन्तु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी —

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यो का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद द्वारा सौंपे जाएँ या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएँ

(7) कार्य परिषद के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी -

(क) विश्वविद्यलाय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय

उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिनके लिए वह मंजूर या आबंदित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको कार्य परिषद को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नगद और बैंक अतिशेषों तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाए तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे सभी कार्यालयों, विभागों, विश्वविद्यालय, संस्थानों, केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा उपभोग्य अन्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए;

(छ) अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे किसी कार्यालय, विभाग, केंद्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियाँ माँगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(8) वित्त अधिकारी की या कार्य परिषद द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद, उस धन के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

परीक्षा नियंत्रक

8. (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफ़ारिशों पर कार्य परिषद द्वारा दी जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पाकन्ह वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पत्र होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते वे होंगी जो समय-समय पर कार्य परिषद द्वारा विहित की जाएँ :

परंतु परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

परंतु यह और है कि परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है या जब परीक्षा नियंत्रक रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) परीक्षा नियंत्रक, अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ करवाएगा और उनका अधीक्षण करेगा।

9. (1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफ़ारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। **पुस्तकालयाध्यक्ष**

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद द्वारा सौंपे जाएँ।

10. (1) सभा का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब किसी वर्ष के संबंध में सभा न कोई अन्य तारीख नियत की हो, कार्य परिषद द्वारा नियत तारीख को होगा। **सभा के अधिवेशन**

(2) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्व वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियाँ और व्यय के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलनपत्र, और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित प्रस्तुत की जाएगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों की प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन से तारीख के कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(4) सभा द्वारा विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद या कुलपति, या यदि कोई कुलपति नहीं है तो प्रतिकुलपति द्वारा या यदि प्रतिकुलपति नहीं है तो कुलपति द्वारा बुलाये जा सकेंगे।

(5) सभा के अधिवेशन के गणपूर्ति सभा के ग्यारह सदस्यों से होगी।

11[2]. (1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात: **कार्य परिषद का गठन**

(i) कुलपति,

(ii) प्रतिकुलपति अथवा रेक्टर, पदेन,

(iii) छात्रों के संकायध्यक्ष, पदेन,

(iv) वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विद्यापीठ के चार संकायध्यक्ष, जिन्हें कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(v) संकायाध्यक्ष को छोड़कर वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से एक प्रोफेसर, जिन्हें कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(vi) वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से एक सह प्राध्यापक, जिन्हें कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

(vii) सभा के दो सदस्य, जिन्हें विजिटर द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के सम्बद्ध अथवा मान्यताप्राप्त किसी महाविद्यालय अथवा किसी संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।

[2] एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.03.2011 को पत्र सं. 36-9/2009-डेस्क(यू) द्वारा संप्रेषित के अनुसार विजिटर की अनुमति द्वारा संशोधित
पूर्व संशोधित उपबंध : कार्य परिषद के सात सदस्य कार्य परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति बनाएँगे।

(viii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक प्रतिनिधि।

(ix) विजिटर द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति।

(x) कुलपति की सिफ़ारिश के आधार पर विजिटर द्वारा 5 व्यक्तियों को नामित किए जाएंगे जिनमें से एक सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार होगा।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्य परिषद के सचिव होंगे।

कार्य समिति के सदस्यों का कार्यकाल

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

कार्य परिषद के आदिवेशन के लिए गणपूर्ति

(3) कार्य परिषद के 20 सदस्यों में से 12 सदस्य अथवा मौजूदे सदस्यों के एक-तिहाई सदस्य कार्य परिषद के बैठक के लिए गणपूर्ति बनाएँगे।

कार्य परिषद की शक्तियाँ एवं कृत्य

12. (1) कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की आमदनी और संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात:-

(i) अध्ययन और शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उसकी उपलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना :

परंतु अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या और अर्हता के संबंध में कोई कार्रवाई कार्य परिषद द्वारा विद्या परिषद की सिफ़ारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी;

(ii) उतने आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, जितने आवश्यक हों, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफ़ारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(iii) अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में विश्वविद्यालय में मान्यताप्राप्त शिक्षक के रमें व्यक्तियों को मान्यता देना;

(iv) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों (जिसके अंतर्गत पीठ आचार्य पद भी हैं) का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्तियाँ कारण;

(v) कुलधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इंतजाम करना;

(vi) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन करना;

(vii) विश्वविद्यालयों के व्यय, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए उतने अभिकर्ता नियुक्त करना जैसा वह ठीक समझे;

(viii) वित्त समिति की सिफ़ारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(ix) विश्वविद्यालय के धन को, जिनके अंतर्गत अनुपयोजित आया है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में विनिहित करना जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिहित करना जिसमें ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की शक्ति है;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कार्य चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(xii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और रद्द करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों कि, जो किसी कारण से, व्यथित अनुभव करे, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xiv) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फ़ीसें, उपलब्धियां आर यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात नियत करना;

(xv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना;

(xvi) छात्राओं के आवासों के लिए आवश्यक विशेष इंतजाम करना;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना, और

(xix) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो अध्यादेशों या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएँ या उस पर अधिरोपित किए जाएँ।

13[3]. (1) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी : **विद्या परिषद का गठन**

(i) कुलपति,

(ii) प्रतिकुलपति अथवा रेक्टर अथवा रेक्टरों,

(iii) विद्यापीठों के संकायध्यक्ष,

(iv) छात्र कल्याण संकायध्यक्ष,

(v) विभागों छात्रों के केन्द्रों का अध्यक्ष/प्रमुख,

(vi) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष,

(vii) परीक्षा नियंत्रक,

(viii) मुख्य प्रोक्टर

(ix) एक प्रोफेसर और मद सं (ii), (iii), (iv) और (v) में निर्दिष्ट के अलावा, रोटेशन से प्रत्येक अध्ययन विद्यापीठ विशेष केन्द्रों में से, विद्यापीठ के भीतर वरिष्ठता के क्रम में एक सह प्राध्यापक।

संबद्ध महाविद्यालयाओं के प्राचार्य

(x) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में शामिल महाविद्यालयों के प्राचार्यों को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा बशर्ते कि प्राचार्य यूजीसी के नियमों के अनुसार पूर्ण होना चाहिए।

विजिटर के प्रत्याशि

(xi) पाँच व्यक्तियों को विजिटर द्वारा अपने विशेष ज्ञान के लिए नामित किए जाएंगे जो कि विश्वविद्यालय या इससे संबद्ध या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त किसी महाविद्यालय अथवा संस्था के कर्मचारी नहीं होंगे।

कुलपति के प्रत्याशि

(xii) दो व्यक्ति कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे जो कि विश्वविद्यालय या इससे संबद्ध या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय अथवा संस्था के कर्मचारी नहीं होंगे।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव विद्या परिषद के सचिव होंगे।

(2) पदेन सदस्यों को छोड़कर विद्या परिषद के अन्य सभी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पदभार धारण करेंगे। **विद्या परिषद के सदस्यों का कार्य काल**

(3) विद्या परिषद के अधिवेशनों के लिए विद्या परिषद के मौजूदा सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से होगी। **विद्या परिषद के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति**

[3] एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.03.2011 को जारी पत्र सं. 36-9/2009-डेस्क(यू) द्वारा संप्रेषित के अनुसार विजिटर की अनुमति से संशोधित
पूर्व संशोधित उपबंध : विद्या परिषद के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद के नौ सदस्यों से होगी।

विद्या परिषद के की शक्तियाँ और कृत्य

14. इस अधिनियम के उपबंधों, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात :-

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण की पद्धतियों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापन का समन्वय करने, अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;

(ख) विद्यापीठों के बीच समन्वय करना और बढ़ाना और ऐसी समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएँ;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी विद्यापीठ या कार्य परिषद द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना; और

(घ) परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्ययनवृत्तियों के दिये जाने और छात्रवृत्तियां, फीस, रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के संबंध में हों।

अध्ययन विद्यापीठ और विभाग

15. (1)[4] विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विद्यापीठ होंगे, अर्थात :-

1. सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
2. जीवन विज्ञान विद्यापीठ
3. भौतिक विज्ञान विद्यापीठ
4. भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ
5. मानव विज्ञान विद्यापीठ
6. व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोर्ड होगा और प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य, कार्य परिषद द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की संरचना, शक्तियाँ और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(5) (क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे, जितने परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु कार्य परिषद, विद्या परिषद की सिफ़ारिश पर, ऐसे अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकेगी जिनमें विश्वविद्यालय के उतने शिक्षक लगाए जाएंगे जीतने कार्य परिषद आवश्यक समझे।

[4] एमएचआरडी द्वारा दिनांक 26.08.2013 को जारी पत्र सं. 44-11/2012-डेस्क (यू) द्वारा संप्रेषित के अनुसार विजिटर की अनुमति से संशोधित
पूर्व-संशोधित उपबंध : विश्वविद्यालय में उतने अध्ययन विद्यापीठ होंगे, जीतने परिनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-

(i) विभाग के शिक्षक;

(ii) विभाग में अनुसंधान का संचालन करनेवाले व्यक्ति;

(iii) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष;

(iv) विभाग से संबंध मानद आचार्य, यदि कोई हों; और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।

(6)[5] (क) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभाग होंगे, अर्थात :-

1. मानव शास्त्र
2. पुरातत्व
3. भूटिया
4. जैव प्रौद्योगिकी
5. बॉटनी
6. रसायन विज्ञान
7. चीनी
8. वाणिज्य
9. कंप्यूटर अनुप्रयोग
10. अर्थशास्त्र
11. शिक्षा
12. अंग्रेजी
13. भूगोल
14. भूविज्ञान
15. हिंदी
16. इतिहास
17. उद्यानिकी
18. अंतर्राष्ट्रीय संबंध
19. विधि
20. लेपचा
21. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
22. लिम्बू
23. भाषा विज्ञान
24. प्रबंधन
25. जनसंचार
26. गणित
27. सूक्ष्म जीव विज्ञान
28. संगीत
29. नेपाली
30. भौतिक विज्ञान

[5] एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.08.2013 को जारी पत्र सं. 44-11/2012-डेस्क(यू) द्वारा संप्रेषित के अनुसार विजिटर की अनुमति से संलग्न

31. राजनीति विज्ञान

32. मनोविज्ञान

33. शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन

34. समाजशास्त्र

35. पर्यटन

36. प्राणिविज्ञान

16. (1) प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा। **अध्ययन बोर्ड**

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(3) विद्या परिषद के पूर्ण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा सम्बद्ध विद्यापीठ बोर्ड को ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ, निम्नलिखित के बारे में सिफ़ारिश करना होगा-

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के लिए जिसमें अनुसंधान उपाधि नहीं है, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय :

परंतु अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन, इस अध्यादेश के अधीन अध्ययन बोर्ड का गठन होने तक विभाग द्वारा किया जाएगा।

17. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :- **वित्त समिति**

(i) कुलपति;

(ii) प्रतिकुलपति;

(iii) सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना वाला एक व्यक्ति;

(iv) कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जानेवाले तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य होगा; और

(v) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके पाँच सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबन्धित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात कार्य परिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफ़ारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अंतर्गत उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे)।

चयन समिति

18. (1) आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद को सिफ़ारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तम्भ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

1	2
प्राचार्य	(i). विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष। (ii). विभागाध्यक्ष, यदि वह आचार्य है। (iii). तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद द्वारा उन नामों के पैनेल में से निर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफ़ारिश विद्या परिषद द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
उपाचार्य /प्राध्यापक	(i). विभागाध्यक्ष (ii). कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक आचार्य (iii). दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद द्वारा उन नामों के पैनल में से नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफ़ारिश विद्या परिषद द्वारा उस विषय में जिससे उपचर्या या प्राध्यापक का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।

1	2
कुलसचिव/वित्त अधिकारी	(i). कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य। . (ii). कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i). दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो, जो कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। (ii). एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, जो परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा
विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में हों, जिनमें से डोकार्य परिषद द्वारा और एक विद्या परिषद द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिसमें उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो।

टिप्पण 1. – जब नियुक्ति अंतर अनुशासनिक परियोजना के लिए की जा रही हो तब परियोजना का प्रधान संबन्धित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा।

टिप्पण 2. – कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबंध आचार्य होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति, या उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिकुलपति, चयन समिति के अधिवेशन बुलाएगा और अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु चयन समिति का अधिवेशन कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञों के पूर्व परामर्श के पश्चात और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किया जाएगा :

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियाँ तब तक विधिमान्य नहीं होंगी, जब तक -

(क) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहाँ उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में भाग न लें; और

(ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहाँ उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में भाग न लें।

(4) चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(5) यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(6) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति से की जाएंगी -

(i) अगर अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी :

परंतु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हिट में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति की सलाह से केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक अवधि के लिए की जाएगी।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफ़ारिश पर की जाएगी जिसमें संबुद्ध विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती हो सकेंगे :

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे:

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से अध्यापन पदों में हुई अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में, संकायाध्यक्ष संबन्धित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा।

(iii) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की सिफ़ारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में उसका चयन नहीं कर लिया जाता।

नियुक्ति का विशेष ढंग

19. (1) परिनियम 18 में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, आचार्य या उपाचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद अध्यादेशों में तथाकथित रीति के अनुसार किसी व्यक्ति को एसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, एक नियत अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगी।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति

20. कार्य परिषद परिनियम 18 में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, एक नियत अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगी।

मान्यताप्राप्त शिक्षक

21. (1) मान्यताप्राप्त शिक्षकों की अर्हताएं वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ।

(2) शिक्षकों की मान्यता के लिए सभी आवेदन ऐसी रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाएँ।

(3) अध्यादेशों में इस प्रयोजन के लिए अधिकथित रीति से गठित चयन समिति की सिफ़ारिश के बिना कोई शिक्षक मान्यताप्राप्त शिक्षक नहीं होगा।

(4) किसी शिक्षक के रजिस्ट्रीकरण की अवधि इस निमित्त बनाए गए अध्यादेशों द्वारा अवधारित की जाएगी।

(5) विद्या परिषद उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित एक विशेष संकल्प द्वारा शिक्षक क्मान्यता वापस ले सकेगी :

परंतु ऐसा संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक इस आशय की लिखित सूचना कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए, उस समबद्ध व्यक्ति को, उससे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करते हुए नहीं दी जाती और जब तक विद्या परिषद द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करें, विचार नहीं कर लिया जाता है। .

22. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी उतनी स्थायी या विशेष समितियां स्थापित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो उस प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं। **समितियां**

(2) उपखंड (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किन्तु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद में पुष्टि के अधीन होगी।

23. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे। **शिक्षकों, आदि, की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता**

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की उपलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

24. (1) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे। **अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें और आचार संहिता**

(2) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उपलब्धियां वह होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

25. (1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकारी का सदस्य होना है, उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसकी श्रेणी में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद समय-समय पर, विहित करे। **वरिष्ठता सूची**

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंध के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट का किसी विशिष्ट श्रेणी में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से वह मामला कार्य परिषद को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति एस अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा।

26. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहाँ शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति, और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात नियुक्ति अधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्य परिषद को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था :

विश्वविद्यालय के कर्मचारियो को हटाया जाना

परंतु यदि कार्य परिषद की यह राय है कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में कार्य परिषद और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो, अन्यथा नहीं।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतु दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाये जाने का आदेश किया जाता है :

परंतु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाये जाने के समय निलंबित है, वहाँ उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी, -

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात ही पद त्याग सकेगा।

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात ही पद त्याग सकेगा।

परंतु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से ही प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, कार्य परिषद या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

मानद उपाधि

27. (1) कार्य परिषद, विद्या परिषद की सिफ़ारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करनेवाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से मानद उपाधियाँ प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी:

परंतु आपात स्थिति की दशा में, कार्य परिषद स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व संस्तुति से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानिक उपाधि को वापस ले सकेगी।

उपाधियों, आदि का वापस लिया जाना

28. कार्य परिषद, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिये गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा की उचित और पर्याप्त करना से वापस ले सकेगी :

परंतु इस आशय का कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना न दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए और जब तक कार्य परिषद द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है।

विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना

29. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियाँ कुलपति में निहित होंगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने में कुलपति की सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय का एक कुलानुशासक होगा जिसकी नियुक्ति अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में आचार्यों और उपाचार्यों में से कार्य परिषद द्वारा की जाएगी।

(3) कुलपति खंड (1) में निर्दिष्ट सभी शक्तियाँ या उनमें से कोई, जो वह ठीक समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निशशित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था, विभाग या विद्यापीठ में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे एसी रकम के जुर्माने से दंडित किया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, संस्था या विभाग या किसी विद्यापीठ

द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबन्धित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिस्मीन वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए।

(5) महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्यों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें, जो उन महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(6) कुलपति तथा प्राचार्यों और खंड (5) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्रचारी, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे जो वे उसमें कथित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेकषा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

विश्वविद्यालय द्वारा न चलाये जा रहे महाविद्यालय या संस्था के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना

30. ऐसे महाविद्यालय या संस्था के बारे में, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जाती हैं, अनुशासन तथा अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियाँ, अध्यादेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य में निहित होंगी।

महाविद्यालयों, आदि को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना

31. (1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के ऐसे विशेषाधिकार दिये जा सकेंगे जो कार्य परिषद और महाविद्यालय विकास परिषद निम्नलिखित शर्तों पर विनिश्चित करें, अर्थात :-

(i) प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय या संस्था का नियमित रूप से गथ्त एक शासी निकाय होगा जिसमें कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित पंद्रह से अनधिक व्यक्ति होंगे तथा जिनमें, अन्य व्यक्तियों सहित कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के दो शिक्षक और अध्यापन कर्मचारि वृंद के तीन प्रतिनिधि होंगे जिनमें से एक महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य होगा। शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति और महाविद्यालय या संस्था के प्रबंध पर प्रभाव डालने वाले अन्य मामलों के लिए प्रक्रिया अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी :

परंतु सरकार द्वारा चलाये जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं की दशा में उक्त शर्त लागू नहीं होगी, तथापि, उनकी एक सलाहकार समिति होगी जिनमें अन्य व्यक्तियों सहित तीन शिक्षक होंगे जिनमें से एक महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य और कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के दो शिक्षक होंगे।

(ii) प्रत्येक ऐसा महाविद्यालय या ऐसी संस्था निम्नलिखित मामलों में कार्य परिषद और महाविद्यालय विकास परिषद का समाधान करेगी, अर्थात :-

(क) इसकी वास-सुविधा की तथा अध्यापन के लिए उपस्कर की उपयुक्तता और पर्याप्तता;

(ख) अध्यापन कर्मचारिवृंद की अर्हताएँ तथा उनकी पर्याप्तता और उनकी सेवा की शर्तें;

(ग) छात्रों के निवास, कल्याण, अनुशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था;

(घ) महाविद्यालय या संस्था को निरंतर चलाने के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था की पर्याप्तता; और

(ङ) ऐसे अन्य मामले, जो विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक हों;

(iii) विद्या परिषद की सिफ़ारिश के बिना किसी भी महाविद्यालय या संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार नहीं दिये जाएंगे जो विद्या परिषद द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्थापित निरीक्षण समिति की रूपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही की जाएगी;

(iv) विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त करने के इच्छुक महाविद्यालयों और संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना कुलसचिव को इस प्रकार दें ताकि वह उस वर्ष से जिससे आवेदित अनुज्ञा प्रभावी होनी है, पूर्ववर्ती 15 अगस्त तक उनके पास पहुँच जाएँ।

(v) महाविद्यालय या संस्था, कार्य परिषद और महाविद्यालय विकास परिषद और विद्या परिषद की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे किसी विषय या पाठ्यक्रम में शिक्षण देना निलंबित नहीं करेगी, जिसका अध्यापन करने के लिए वह प्राधिकृत है और जिसका वह अध्यापन करती है।

(2) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों या संस्थाओं में अध्यापन कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाएँ :-
परंतु इस खंड की कोई बात सरकार द्वारा चलाये जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था के प्रशासनिक तथा अन्य अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें वे होंगी जो अध्यादेसों में अधिकथित की जाएँ।

परंतु इस खंड की कोई बात सरकार द्वारा चलाये जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं को लागू नहीं होगी।

(4) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था का निरीक्षण विद्या परिषद द्वारा स्थापित समिति हर दो शैक्षणिक वर्षों में कम से कम एक बार करेगी और इस समिति की रिपोर्ट विद्या परिषद को प्रस्तुत की जाएगी जो उसे अपनी ऐसी सिफ़ारिशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, महाविद्यालय विकास परिषद और कार्य परिषद को भेजेगी।

(5) रिपोर्ट तथा विद्या परिषद की सिफ़ारिशों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात महाविद्यालय विकास परिषद और कार्य परिषद रिपोर्ट की एक प्रति उस पर अपनी टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, महाविद्यालय या संस्था के शासी निकाय को यथोचित कार्रवाई के लिए भेजेगी।

(6) महाविद्यालय विकास परिषद और कार्य परिषद, विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात किसी महाविद्यालय या संस्था को दिये गए किन्हीं विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगी यदि किसी भी समय उसका यह विचार है कि महाविद्यालय या संस्था उन शर्तों में से किन्हीं को पूरा नहीं कर रही है जिनके आधार पर महाविद्यालय या संस्था को ऐसे विशेषाधिकार दिये गए थे :

परंतु किन्हीं विशेषाधिकारों को इस प्रकार वापस लेने के पहले संबन्धित महाविद्यालय या संस्था के शासी निकाय को कार्य परिषद के समक्ष इस बारे में अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा कि एसी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(7) खंड (1) में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों द्वारा,-

(i) एसी अन्य शर्तें, जो आवश्यक समझी जाएँ; और

(ii) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को देने और इन विशेषाधिकारों को वापस लेने से संबन्धित प्रक्रिया, विहित की जा सकेंगी।

दीक्षांत समारोह

32. उपाधियाँ प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ।

अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष

33. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के लिए इस प्रकार का उपबंध किया गया है वह अनुपस्थित है वहाँ उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे।

त्यागपत्र

34. सभा कार्य परिषद, विद्या परिषद या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग सकेगा और एस पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही पदत्याग प्रभावी हो जाएगा।

निरर्हताएं

35. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी का सदस्य चुने जाने और होने के लिए निरर्हित होगा यदि -

(i) वह विकृतचित है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडित किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

सदस्यता के निवास की शर्तें

36. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनने के लिए पत्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता

37. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय के सदस्य की अपनी हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, केवल तब तक ऐसा पद धारण करेगा या जब तक ही सदस्य रहेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है।

पूर्व छात्र संगम

38. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र संगम होगा।

(2) पूर्व छात्र संगम की सदस्यता के लिए अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई सदस्य मतदान करने या निर्वाचन के लिए खड़े होने का तभी हकदार होगा जब वह निर्वाचन की तारीख से पहले कम से कम एक वर्ष संगम का सदस्य रहा है और विश्वविद्यालय का कम से कम पाँच वर्ष की अवस्थिति का डिग्री धारक है :

परंतु एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने संबंधी शर्त प्रथम निर्वाचन की दिशा में लागू नहीं होगी।

छात्र परिषद

39. (1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे -

(i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो छात्र परिषद का अध्यक्ष होगा;

(ii) बीस छात्र, जो विद्या परिषद द्वारा अध्ययन, खेलकुद और पाठ्येतर क्रियाकलापों में प्रतिभा के आधार पर नामनिर्दिष्ट किए जाएँ;

(iii) छात्रों के उतने निर्वाचित प्रतिनिधि जितने विद्या परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ :

परंतु विश्वविद्यालय के किसी छात्र को यदि अध्यक्ष ऐसा अनुज्ञात करे, विश्वविद्यालय से संबन्धित किसी विषय को छात्र परिषद के समक्ष लाने का अधिकार होगा और उसे किसी भी अधिवेशन में चर्चा में भाग लेने का उस समय अधिकार होगा, जब उस विषय के बारे में विचार किया जाए।

(2) अध्ययन, छात्र कल्याण कार्यक्रमों और विश्वविद्यालय के साधारण कार्यक्रम से संबन्धित महत्व के अन्य विषयों के बारे में विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियो को सुझाव देना छात्र परिषद के कृत्य होंगे और ऐसे सुझाव सर्वसम्मति से दिये जाएंगे।

(3) छात्र परिषद शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बार अधिमानत: उस वर्ष के प्रारम्भ में अपना अधिवेशन करेगी।

40. (1) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद द्वारा नीचे खंडों में विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे। **अध्यादेश कैसे बनाए जाएँ**

(2) धारा 30 की उपधारा (1) में प्रगणित मामलों के बारे में कार्य परिषद द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेशों का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) कार्य परिषद को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किन्तु वह प्रस्थापना को नामंज़ूर कर सकेगी या विद्या परिषद के पुनर्विचार के लिए उस सम्पूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित जिनका सुझाव कार्य परिषद दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहां कार्य परिषद ने विद्या परिषद द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंज़ूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहाँ विद्या परिषद उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई और विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुन: अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप कार्य परिषद को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मन लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कार्य परिषद द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा।

(6) कार्य परिषद द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) कुलाध्यक्ष को, विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे।

(8) कुलाध्यक्ष, कार्य परिषद को खंध (7) में निर्दिष्ट अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा और विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात वह या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंज़ूर कर देगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

41. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अध्यादेश, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात :- **विनियम**

(i) उनेक अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन विनियमों द्वरा विहित किया जाना अपेक्षित है;

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबन्धित हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) कार्य परिषद इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निर्देश दे सकेगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

42. अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी कोई शक्ति, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी में निहित बना रहेगा।